न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 15/2015/प्रार्थना पत्र 6ए

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), सीकर

प्रार्थी

बनाम

मै. भाटीवाड़ा रेस्टोरेन्ट, सीकर संचालक मुरारीलाल शर्मा पुत्र मांगीलाल शर्मा निवासी घाणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसीएक्ट 1955 के तहत

अप्रार्थी की ओर से वकील श्री पवन कुमार शर्मा

निर्णय **दिनांकः–16.12.2019**

प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि दिनांक 30.12.2013 को सालासर बस स्टेण्ड सीकर स्थित भाटीवाड़ा रेस्टोरेन्ट पर दूरभाष पर घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग की सूचना पर श्रीमान् जिला रसद अधिकारी बहमरा प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक सीकर आकस्मिक जांच हेतु पंहुचे। उक्त रेस्टोरेन्ट पर कुल तीन घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल कम्पनी के पाये गये, जिनमें दो सिलेण्डर भट्टियों से जुड़े हुए तथा एक सिलेण्डर दुकान के अंदर रखा हुआ पाया। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को मिठाई इत्यादि बनाने के व्यवसायिक कार्य में उपयोग लिया जा रहा था। मौके पर रेस्टोरेन्ट के संचालक श्री मुरारीलाल शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल शर्मा निवासी घाणा तह0 लक्ष्मणगढ़ द्वारा घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग किये जाने के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही गैस सिलेण्डरो के कागजात पेश किये गये। घरेलू गैस का व्यवसायिक प्रयोग निषेध है तथा लिक्विडफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई) ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन पाये जाने पर तीनो घरेलू गैस सिलेण्डरो को जब्त सरकार किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	एसआर नं.	टेयर वजन	कुल वजन	गैस का वजन
1.	642568टी	15.4 किग्रा	25 किग्रा	9.6 किग्रा
2.	723068एस	15.6 किग्रा	15.8किग्रा	0.2 किग्रा
3.	अस्पष्ट	16.8 किग्रा	22 किग्रा	5.2 किग्रा

उक्त गैस सिलेण्डरो का सुरक्षा की दृष्टि से श्री शिव गैस एजेन्सी सीकर के प्रबंधक परमेश्वर लाल को सुपर्दगी मे दिये गये तथा फर्द मौका, फर्द जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौका पर बनाई गई। द्रवित गैस अति ज्वलनशील पदार्थ है तथा क्षीणय प्रकृति की होने के कारण शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रिजस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की और से वकील श्री पवन कुमार शर्मा उपस्थित आये। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में फर्द

मौका चैकिंग के मुताबिक घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच करने पर सालासर स्टेण्ड स्थित भाटीवाड़ा रेस्टोरेन्ट पर घरेलू गैस सिलेण्डर को भट्टियों से जोड़कर मिठाई इत्यादि बनाने के व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। गैस सिलेण्डरों सम्बंधी कोई कागजात मौके पर पेश नहीं किये गये। मौके पर कुल 3 सिलेण्डर रखे हुए थे जिनमें 1 सिलेण्डर दुकान के अन्दर रखा हुआ था तथा 2 सिलेण्डर भट्टियों से जुड़े हुए पाए गए। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग निषेध है तथा अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों में काम में लिए जाने के कारण वजह सबूत तीनों सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स शिव गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री परमेश्वर लाल को सम्भलाये गये। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी/अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित रहा एवं पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक उपयोग में नहीं किया जा रहा था। जब्तशुदा सिलेण्डरों में जब्त गैस क्षरित योग्य है। अतः उक्त गैस क्षरित होने व ज्वलनशीन पदार्थ से हादसा होने की आशंका को देखते हुए इसका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित एवं अति आवश्यक प्रतीत होता है। अतः जिला रसद अधिकारी, सीकर को लिखा जावे कि उक्त जब्तशुदा तीन सिलेण्डरों में जब्त गैस क्रमशः 9.6 किग्रा, 0.2 किग्रा, 5.2 किग्रा का अन्तरिम निस्तारण नियमानुसार किया जावे एवं जब्तशुदा तीनों सिलेण्डरों के सम्बंध में अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम निस्तारण तक पूर्व की भांति जब्त रहकर सुरक्षित सुपुर्दगी में ही रहें। जिला रसद अधिकारी जब्तशुदा सिलेण्डरों के सम्बंध में अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर उक्त न्यायालय के अन्तिम निर्णय के मुताबिक निस्तारण हेतु न्यायालय हाजा को सुचित कर देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

16/12/19

(जय प्रकाश)

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर